

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, defsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2022-23/ 2160

दिनांक: 10/3/23

निमित्त:- मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- CONSTRUCTION OF 765 KV D/C SIKAR-II- ALIGARH TRANSMISSION LINE, DISTRICT-SIKAR, JAIPUR & ALWAR (RAJASTHAN) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 COMMON POINT RAJASTHAN STATE BOUNDARY. TOTAL ROUTE LENGTH 180.946 KM.

(Online Proposal No.- FP/RJ/TRANS/144853/2021)

संदर्भ:-अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर
का पत्रांक 5052 दिनांक 27.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित डायवर्जन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान का पत्रांक 5052 दिनांक 27.02.2023 द्वारा लगाये गये आक्षेपों के क्रम में बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. उक्त प्रस्ताव में पूर्व में Site Inspection Report अपलोड होने के कारण पुनः अपलोड नहीं हो रही है। अतः Site Inspection Report additional documents में अपलोड कर हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है।
2. प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित एरिया को संशोधित कर संशोधित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं सी.ए. स्कीम को पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3. प्रस्ताव में एन.पी.वी. की दरें Open श्रेणी की चार्ज की गई है क्योंकि सीकर जिला Eco Class-3 Tropical Dry Deciduous Forests श्रेणी में आने के कारण एन.पी.वी. की दरों का आंकलन उसके अनुरूप किया गया है। अतः प्रस्तावित स्थल पर 15 वृक्ष मौजूद होने के कारण वृक्ष घनत्व संशोधित कर 0.1 कर दिया गया है।
4. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पार्ट-1 के बिन्दु संख्या 13(V) पर संलग्न है।
5. प्रस्ताव में कितने वृक्षों का पातन एवं कितने वृक्षों की छंगाई की जायेगी, इस संबंध में यूजर एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न प्रेषित है।
6. बिन्दु संख्या 08 के क्रम में पारेषण लाईन के नीचे औषधीय/बौने पौधों की वृक्षारोपण योजना संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक :

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2021-22/

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर